-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अवगत कराना है कि दिनांक 28.09.2024 को रवि आप्टिकल किशनपुरा के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पंचायतनामे की कार्यवाही की गयी तथा मृतक की शिनाख्त **मांगेराम पुत्र भुल्लुराम निवासी म0न0-5/2951 राधा विहार कालोनी गली न0-03 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई थी। परिजनो से जानकरी की गयी तो उन्होने बताया कि मृतक दिनांक 28/09/24 को रात्रि 01.00 बजे देहरादून से सहारनपुर आये थे और फोन करके कहा था कि मुझे घण्टाघर लेने आ जायो लेकिन घण्टाघर जाने के बाद वो परिजनों को कही नही मिले थे तथा बाद में उनका शव नाले में पडा मिला था तथा उनका बैग तथा मोबाईल आस पास कही नही मिला। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज चैक करने पर पता चला कि 02 अज्ञात लडको को मृतक मांगेराम के पीछे जाते देखा गया है। तत्पश्चात दिनांक 02.10.2024 को वादी श्री सागर सिंह पुत्र स्व0 मांगेराम निवासी म0न0-5/2951 राधा विहार कालोनी गली न0-03 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी के पिता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 244/24 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना का खुलासा करते हुए प्रकाश में आये 01 हत्यारोपी **अभियुक्त सोनू उर्फ शमशेर पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी वाल्मिकि कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त सोनू उर्फ शमशेर उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 27/28.09.2024 की रात्रि में समय करीब 01.00 बजे मैं व मेरा साथी रोडवेज बैस स्टैण्ड पर खडे थे तभी बस से उतरे एक आदमी को लूटने के इरादे से रोडवेज बस स्टैण्ड से उसका पीछा कर रहे थे और हम दोनो ने किशनपुरा नाले पर आकर उसका सामान लूटने लगे तो उसके द्वारा विरोध किया गया तो हमने उसका सामान लूटकर उसको नाले में धक्का दे दिया था और उसका सामान लेकर भाग गये थे। मेरा साथी पर्स व बैग लेकर चला गया और मैं उस व्यक्ति का मोबाइल फोन ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू उर्फ शमशेर पुत्र अब्दुल गफ्फार उर्फ इरफान निवासी वाल्मिकि कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 मोबाइल फोन रेडमी (मृतक का)

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 301/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मंडी स0पुर,
2. मु0अ0सं0 231/24 धारा 379,411 भादवि चालानी थाना मंडी
3. मु0अ0सं0 324/23 धारा 380,411,457 भादवि चालानी थाना नकुड स0पुर,
4. मु0अ0सं0 328/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना नकुड स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मानसिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जानसन थाना थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
5. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
6. कां0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
7. का0 2435 अंकित कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
8. का0 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
9. का0 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मारपीट कर लूटपाट करने के मामलें में 04 शातिर लुटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24000/- रूपये नकद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल, 01 आधार कार्ड, 02 क्रेडिटकार्ड, 02 तमंचे, 02 खोखा/04 जिन्दा करतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2024 को वादी श्री बहादुर शाह पुत्र खुर्शेद निवासी डंकोवाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 04 अज्ञात व्यक्ति बिना नम्बर मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर सवार पर द्वारा वादी व वादी का साथी ट्रेक्टर ड्राइवर पंकज अपनी मोटरसाइकिल से खेडा मुगल से अपने गॉव डंकोवाली जाते समय ग्राम मकनपुर के आगे मारपीट करने व वादी से 44000 रुपये लूट लेने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 551/2024 धारा 309(6) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक देवबन्द को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में 04 शातिर लूटेरे/**अभियुक्तगण 1. जुल्फिकार उर्फ बिल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मुहल्ला पठानपुरा निकट जिओ टावर थाना मंगलौर कस्बा मंगलोर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 2. डोली उर्फ अंकुल पुत्र पवन निवासी शिवपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, 3. अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम निहाल खेड़ी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर व 4. रितेश पुत्र नेमचंद निवासी बहैडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार** को चैकिंग के दौरान बीरपुर तैय्यबपुर रोड पर बने अमृत सरोवर तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 24000/- नकद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल, 01 आधार कार्ड, 02 क्रेडिट कार्ड, 02 तमंचे व 02 खोखा/04 जिंदा करतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम सभी ने विशाल पुत्र वीरसिंह निवासी इकबालपुर थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार के साथ मिलकर एक गैंग बनाया हुआ है और हम सभी ने मिलकर उ0प्र0 व उत्तराखण्ड बार्डर के आसपास के रास्ते में आने जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। दिनांक 27.09.2024 को हुई घटना के बारे में पूछने पर बताया कि डोली उर्फ अंकुर ने ठेकेदार के चलने की सूचना दी थी तथा हम सभी ने उसकी मोटरसाइकिल के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगाकर रोक कर उससे 44000 रुपये की लूट लिए थे, जिसे हमने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। आज जो 24000/- रूपये हमारे पास से मिले है, बाकी रूपये हमसे खर्च हो गये है। अभियुक्तगण अंकुल उर्फ डोली व रितेश ने बताया कि जो बिना नम्बर की मोटरसाइकिल हम लोगो के पास है उसको हम दोनो ने दिनांक 25/09/24 की रात को अपने साथी विशाल उपरोक्त व अमन सैनी के साथ मिलकर लाड्डरदेवा तेल्लीवाला रोड पर नाले की पुलिया के पास थाना गंगनहर से एक लडके से लूटा था तथा अंकुर उर्फ डोली, रितेश, जुल्फिकार उर्फ बिल्ला ने बताया कि थाना झबरेडा मे दिनांक 02/07/2024 को हमने बेहडकी से मोलना रोड पर एक स्कूटी सवार से रात मे मारपीट कर पैसो से भरा एक बैग लूटा था जिसमे कुछ क्रेडिट व बैंक दस्तावेज भी थे। बिल्ला व रितेश से बरामद क्रेडिट कार्ड झबरेड़ा में हुई लूट से संबंधित है। अभियुक्तों से बरामद तमंचे कारतूस व मोटरसाइकिल के संबंध में पूछा तो बताया कि तमंचा कारतूस हम अपनी सुरक्षा व लूटपाट के लिए रखते हैं तथा जहा घटना करते है उसके आसपास पेडो से डंडे तोडकर उन्हे भी हथियारो की तरह इस्तेमाल करते है तथा टीवीएस मोटरसाइकिल अभिषेक की है। आज भी हम लोग किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. जुल्फिकार उर्फ बिल्ला पुत्र दीन मोहम्मद नि0 मौ0 पठानपुरा निकट जिओ टावर कस्बा मंगलौर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार
2. डोली उर्फ अंकुल पुत्र पवन निवासी शिवपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

3. अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम निहाल खेड़ी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. रितेश पुत्र नेमचंद निवासी बहैडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार

विवरण बरामदगी:-

- 24000/- रूपये नकद (लूट गयी धनराशि)
- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त (मु0अ0स0 559/24 धारा 115(2),309(4) BNS थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार)
- 01 टीवीएस मोटरसाइकिल घटना मे प्रयुक्त
- 02 अवैध तमंचे 315 बोर
- 02 खोखा/04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 आधार कार्ड
- 02 क्रेडिटकार्ड

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 641/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना देवबन्द (बनाम डोली उर्फ अंकुल)
2. मु0अ0स0 644/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना देवबन्द (बनाम डोली उर्फ अंकुल)
3. मु0अ0स0 559/24 धारा 115(2),309(4) BNS थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार (बनाम डोली उर्फ अंकुल, रितेश पुत्र नेमचंद)
4. मु0अ0स0 246/24 धारा 309(6),351(3),352 BNS थाना झबरेडा हरिद्वार (बनाम डोली उर्फ अंकुल, रितेश पुत्र नेमचंद, जुल्फिकार उर्फ बिल्ला, अभिषेक पुत्र राधेश्याम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 528 बिट्टू थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. हे0कां0 698 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. का0 478 पंकज थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
7. का0 1830 शुभम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
8. का0 2076 धर्मेंद्र थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
9. का0 1919 यसवीर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
10. कां0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा जेसीबी से बैटरे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये 02 बैटरे व अभियुक्त रियासत की निशानदेही पर 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु की बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.10.2024 को वादी श्री संजय शर्मा पुत्र जनेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- रियासत उर्फ नाटा पुत्र हबीब निवासी ग्रा0 लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार, 2- नसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार, 3- यासीन पुत्र मगंता निवासी लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार व 4- इन्तखाब पुत्र जंगशेर निवासी मुस्तफावाबाद थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार द्वारा ग्राम खुदाबक्शपुर से जेसीबी से 02 बैटरे चोरी करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 226/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लूट/चोरी/नकबजनी आदि की घटनाओ की रोकथाम व चोर/नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए बैटरे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **04 चोर/अभियुक्तगण 1- रियासत उर्फ नाटा पुत्र हबीब निवासी ग्रा0 लंडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार, 2- नसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार, 3- यासीन पुत्र मगंता निवासी लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार व 4- इन्तखाब पुत्र जंगशेर निवासी मुस्तफावाबाद थाना बहादराबाद जि0 हरिद्वार** को खुदाबक्शपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से जेसीबी मशीन से चोरी गये 02 बैटरे बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्त रियासत उपरोक्त थाना बड़गांव पर पंजीकृत चोरी के मु0अ0सं0 193/24 धारा 305(क) बीएनएस में वांछित चल रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमें मे चोरी गयी 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु बरामद। माल बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रियासत उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

तसकरा पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोगो ने पैसो के लालच में आज ही जसीबी मशीन से 02 बैटरे चोरी कर लिए थे। जिन्हे हम लोग बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया। तथा अभियुक्त रियासत उपरोक्त ने बताया कि मैने करीब 1.5 महीना पहले रात्रि मे ग्राम चिराऊ मे गांव से बाहर की तरफ बने मकान मे घुसकर छोटा बक्शा चोरी कर लिया था, जिसमे से सोने व चांदी के जेवर व कुछ रुपये मिले थे, मैने बक्सा फेक दिया था और कुछ जेवर चलते फिरते लोगो को अपनी मजबूरी बताकर बेच दिये थे उस चोरी के समान मे से एक जोडी पाजेब जो मैने बचा रखी थी आपको बरामद करा दी है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1- रियासत उर्फ नाटा पुत्र हबीब निवासी ग्रा0 लंडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार

2- नसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार

3- यासीन पुत्र मगंता निवासी लडौरा थाना मंगलोर जिला हरिद्वार

4- इन्तखाब पुत्र जंगशेर निवासी मुस्तफावाबाद थाना बहादराबाद जि0 हरिद्वार

अभियुक्त रियासत उर्फ नाटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 193/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

02 बैटरे (जेसीबी के)

01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु

बरामदगी हेतु गठित पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

3- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.10.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **कलाशीराम पुत्र हरमल निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना सरसावा सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2976/24 मु0अ0स0 32/2019 धारा 60/63 आबकारी अधि0 को घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कलाशीराम पुत्र हरमल निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 महेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः 03.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.08.2024 को वादिनी/पीडिता ने थाना मिर्जापुर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत मोहित पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 140/24 धारा 376/366/323/506 भादवि पंजीकृत कराया गया दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि के स्थान पर धारा 376(2)एन भादवि की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए, इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त में चल रहे वांछित अभियुक्त **मोहित पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को उनके मसकन से अन्तर्गत धारा 376(2)एन/366/323/506 भादवि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 02/21 धारा 366/368 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 777 अजय कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 03.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गौकशी के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2024 को वादी का0 2428 अजय कुमार द्वारा रायपुर पीर नदी के पास से गौवंशीय खाल की बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-70/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एव वांछित/वारण्टी/गौकशी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मरोडगढ तिराहे से 01 नाजायज छूरी (गौकशी का उपकरण) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 150/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 3/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3.मु0अ0स0 56/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4.मु0अ0स0 70/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 छूरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **रविन्द्र पुत्र कर्म सिह निवासी उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 06 वाद संख्या 146/16 मु0अ0सं0 240/16 धारा 328/379/411 भादवि चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रविन्द्र पुत्र कर्म सिह निवासी उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 640 अंकुर तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी /शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **आशू पुत्र नौशाद नि0 ग्राम नैन खेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को पुराने खाली पडे मण्डी समिति के खंडहर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0स0 385/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशू पुत्र नौशाद नि0 ग्राम नैन खेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0कां0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त निशान्त राणा उर्फ कल्लू पुत्र मनवीर सिह निवासी ग्राम दलहेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को अपना रेस्टोरेन्ट, सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। बिना कागजात की अपाचे मोटरसाइकिल अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गयी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 229/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम व पता नही जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

निशान्त राणा उर्फ कल्लू पुत्र मनवीर सिह निवासी ग्राम दलहेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाईकिल अपाचे (207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 2424 गौरव थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. एचजी 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या के प्रयास के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के मामलें में 01 वांछित अभियुक्त **मेजर पुत्र मागेराम निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 114/24 धारा 323/504/506/307 भादवि थाना नानौता में सहारनपुर रोड पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मेजर पुत्र मागेराम निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामचरण सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर